



भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
 CHANGE**  
 क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर / **Regional Office, Gandhinagar**



B-215 & बी-216 "अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004/ B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 दूरभाष 0141-2713858, Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक: **As per e-sign**

सेवा में,  
 शासन सचिव (वन)  
 सचिव सचिवालय, राजस्थान शासन  
 जयपुर, राजस्थान।

**(प्रस्ताव क्रमांक FP/RJ/ROAD/144437/2021)**

**विषय: Diversion of 0.9885 ha forest land in favour of Public Works Department Rajasthan for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A ( Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, District- Jaipur, Rajasthan.**

**संदर्भ:** राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(78) वन/2022 दिनांक 03.12.2025 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 20.07.2022.

महोदय,

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के अंतर्गत उपर्युक्त प्रस्ताव हेतु केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित था। प्रस्ताव की जाँच के उपरांत यह पाया गया कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का कुछ उल्लंघन है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव सीधे मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें। (Approval of the Central Government was sought for the proposal above mentioned under Section-2 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980. After examination of the proposal, it is found that the proposal involves some violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980. Proposals related to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 are required to be submitted by the state government directly to the Ministry as per the recent guidelines. Therefore, the State Government is requested to submit the proposal directly to the Ministry, New Delhi).

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(This issues with the approval of the competent authority)

भवदीय/Sincerely,

**(बालाजी करी/Balaji Kari)**

सहायक वनमहानिरीक्षक/Assistant Inspector General of Forests  
 क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

**प्रतिलिपि/Copy to:**

1. आतोरक्त प्रधान मुख्य वन सरक्षक ँव नोडल आधेकारो (वन सरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल ँरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) वनमण्डल, जयपुर, राजस्थान।
3. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड विराटनगर द्वितीय, जयपुर, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।